न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः 243/2017 (जीसीएमएस नं. 2017/00149)

1. छीतर मल कुमावत पुत्र स्व. श्री गोविन्दराम कुमावत आयु 62 वर्ष, जाति कुमावत निवासी ग्राम कलवाडा तहसील सांगानेर जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर जयपुर।
2. नबी बक्श पुत्र अल्ला बक्श (मृतक दौराने दावा)
3. लादू खॉ पुत्र अल्लाबक्स (मृतक दौराने दावा)
   - 3/1. मु. गुलाब पत्नी श्री लादू,
   - 3/2. नाथू खॉ पुत्र श्री लादू खॉ,
   - 3/3. खांजू खॉ पुत्र श्री लादू खॉ (10 वर्षो से लापता)
   - 3/4. अल्ला बक्श पुत्र लादू खॉ,
4. रमजान खॉ पुत्र श्री अल्ला बक्श (मृतक दौराने दावा)
   - 4/1. भूरी खॉ पत्नी श्री रमजान खॉ,
   - 4/2. रोशन खॉ पुत्र श्री रमजान खॉ,
   - 4/3. यासीन खॉ पुत्र श्री रमजान खॉ,
   - 4/4. बाबू खॉ पुत्र श्री रमजान खॉ,
   - 4/5. पप्पू खॉ पुत्र श्री रमजान खॉ,
5. सुबराती पुत्र श्री अल्ला बक्श (मृतक दौराने दावा)
   - 5/1. ईदी पत्नी सुबराती,
   - 5/2. रफीक पुत्र सुबराती,
   - 5/3. पीरू पुत्र सुबराती,
   - 5/4. लतीफ पुत्र सुबराती,
   - 5/5. चन्दा पुत्री सुबराती,
   - 5/6. रहीसा पुत्र सुबराती, समस्त जातियान पिनारा समस्त निवासीयान ग्राम कलवाड़ा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. **श्री जगदीश नारायण शर्मा अपीलान्ट की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 01.11.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2016 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2016 में अपीलार्थीगण के पक्ष में भरे गये उक्त सभी नामान्तरकरणों एवं संपरिवर्तन आदेशों के अंकन होने के बावजूद भी दौराने भू—प्रबन्ध कार्यवाहियों उक्त

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

तमाम कार्यवाहियों की अनदेखी कर आधार वर्ष के बाबत जारी नवीन जमाबन्दी में सम्पूर्ण इन्द्राज का विलोपित कर पुनः पूर्व खातेदारान के नाम राजस्व रिकार्ड तैयार कर दिया गया जो चूक दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाहियों होने के कारण धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दुरूस्ती योग्य था और जिसकी सुनवाई व निस्तारण का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त था जिसके द्वारा सभी पक्षकार को विधिवत रूप से नोटिस जारी कर सुनवाई नियत की गई लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को पूर्व में नियत सुनवाई तिथि को स्थगित कर सुनवाई तिथि को स्थगित कर अपीलान्ट के प्रकरण को बिना सहमति के राजस्व लोक अदालत कैम्प कलवाडा में रख लिया तथा अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही धारा 151 सी.पी.सी. का प्रयोग करते हुये अपीलार्थी का प्राथना पत्र केवल मात्र इस आधार पर निरस्त रिकर दिया कि पैरोकार सरकार के जवाब में उक्त विवादित भूमि सेज योजना के अन्तर्गत अवाप्त होकर जयपुर प्राधिकरण में निहित हो चुकी है, वर्तमान में भूमि का उपयोग गैर कृषि के रूप में हो रहा है जबकि उक्त समस्त कार्यवाही अपीलान्ट के आवेदन के लम्बित रहने के दौरान की है जिनका ना तो अपीलान्ट ने चुनौती दी थी, ना ही चुनौती दिये जाने का कोई अधिकार था अपीलान्ट द्वारा जो दुरूस्ती चाही गई थी वो लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में थी और अपीलान्ट द्वारा अपने समर्थन में सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतियॉ प्रस्तुत की गई थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय श्रीमान् द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 03.04.2012 को पूर्णतया नजरअन्दाज कर केवल मात्र पैरोकार सरकार के जवाब को आधार मानकर अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का निरस्त किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय सांगानेर जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2016 को अपास्त एवं खारिज फरमाया जावें तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम को स्वीकार फरमाया जाकर दौराने भू प्रबन्ध कार्यवाहियों आधार वर्ष के आधार पर जमाबन्दी में हुई चुक को दुरूस्त कर खाता संख्या 107/1 के अनुसार जमाबन्दी में दुरूस्ती के आदेश पारित कर अपीलार्थी के हक में निर्णित करने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोइ भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस इत्यादि भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील

संभागीय आयुक्त

प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि न्यायालय हाजा के पूर्व आदश दिनांक 03.04.2012 द्वारा बिना किसी आदेश के भू प्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड की स्थिति बदलना मानते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन कर पुनः निर्णय हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 04.07.2016 नियत की गई थी तत्पश्चात् अपीलार्थी को बिना सूचना के ही पत्रावली नियत तारीख पेशी से पूर्व ही दिनांक 29.06.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कलवाडा में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि लोक अदालत में केवल सहमति के आधार पर ही प्रकरणों को निस्तारण किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2016 त्रुटिपूर्ण होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, द्वितीय जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रभावित पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 01.11.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर